पीएफसी की सीएसआर और सततधारणीय नीति

1.0 सीएसआर का विजन वक्तव्य एवं उद्देश्य :

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व तथा सततधारणीय विकास की अपनी पहलों के माध्यम से मुख्य रूप से समाज की विद्युत एवं ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल देते हुए सततधारणीय विकास के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन जारी रखेगा।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व तथा सततधारणीय नीति (सीएसआर और सततधारणीय नीति) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेशन सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था बने जो पूरे समाज के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हो।

सीएसआर और सततधारणीय

'सततधारणीय' शब्द का प्रयोग सीएसआर के साथ इसलिए किया गया है कि बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में यथा परिकल्पित सीएसआर की गतिविधियों को सततधारणीय की पहलों से संपूरित किया जा सकता है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सीएसआर और सततधारणीय के मुद्दे पूरक प्रकृति के हैं तथा नीति में दोनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार निगमित संस्था के रूप में पीएफसी निम्नलिखित का प्रयास करेगा :

- ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना एवं प्रयोग करना जो सामाजिक एवं पर्यावरणीय सततधारणीय में योगदान देती हैं।
- ऐसी परियोजनाएं शुरू करना जो समुदायों को ऊर्जा, पानी एवं स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करती हैं।
- "दिव्यांगों" तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की सहायता के लिए गतिविधियां शुरू करना।
- ऐसे मुद्दों को उठाना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में सर्वोपरि हैं, जैसे कि सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शौचालयों का प्रावधान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि।

- शिक्षा, क्षमता निर्माण के उपायों, सीमांत एवं साधनविहीन वर्गों / समुदायों के सशक्तीकरण के माध्यम से समाज में समावेशी विकास एवं साम्यपूर्ण प्रगति में योगदान देना।

पीएफसी की सीएसआर और सततधारणीय नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- अपने हितधारकों के हितों को स्वीकार करते हुए आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण की दृष्टि से सततधारणीय ढंग से अपने व्यवसाय के प्रचालन के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता में वृद्धि का सुनिश्चय करना।
- सीएसआर की गतिविधियों के माध्यम से पीएफसी के लिए समाज में सद्भाव उत्पन्न करना तथा निगम के रूप में पीएफसी की सकारात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से जवाबदेह छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

2.0 रणनीति :

जिम्मेदार निगमित संस्था के रूप में पीएफसी सततधारणीय आधार पर पारिस्थितिकीय मुद्दों पर समझौता किए बगैर समाज / समुदाय के जीवन की गुणवत्ता / अवसंरचना में सुधार लाने वाली पहलों की सहायता करके समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। यह ऐसी गतिविधियों की सहायता नहीं करेगा जिससे समाज में असंतोष उत्पन्न हो सकता है और किसी भी ढंग से सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।

पीएफसी यथासंभव सीमा तक अपनी सीएसआर सततधारणीय नीति को अपनी व्यवसाय नीतियों एवं रणनीतियों के साथ संरेखित करेगा।

तदर्थ दृष्टिकोण के स्थान पर परियोजना आधारित जवाबदेही के दृष्टिकोण के साथ सीएसआर की रणनीतियों का विकास किया जाना चाहिए।

सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय पीएफसी देश में किसी पिछड़े जिले के विकास के लिए कम से कम एक परियोजना तथा पर्यावरणीय सततधारणीय की कम से कम एक परियोजना शुरू करना का प्रयास करेगा।

पीएफसी महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से कौशल विकास की पहलों में दिव्यांगों की मदद करेगा।

पीएफसी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व तथा सततधारणीय विकास की गतिविधियों के लिए आवंटित बजट से लंबी परिपक्वता तथा अधिक प्रभाव वाली परियोजनाएं शुरू करने का प्रयास करेगा।

पीएफसी अधिक सामाजिक प्रभाव के लिए सार्वजनिक – निजी साझेदारी / कारपोरेट साझेदारी मोड में संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए सहायता एवं संसाधन प्रदान करेगा।

पीएफसी यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अतिरिक्त निधि निगम के कारोबार लाभ का हिस्सा न बने।

3.0 बल दिए जाने वाले क्षेत्र :

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 7 जिसमें कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों का वर्णन है, के अनुरूप पीएफसी निम्नलिखित क्षेत्रों में गतिविधियां शुरू करेगा। नीचे सूचीबद्ध मदें व्यापक हैं तथा उनका निर्वचन उदारता के साथ करना चाहिए ताकि नीचे उल्लिखित विषयों का सार समझ में आ सके :

(क) पर्यावरणीय सततधारणीय के उपायों का सुनिश्चय करना, जैसे कि :

(i) नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां;
(ii) नवीकरणीय तथा स्वच्छ ऊर्जा की पहलों में अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों की सहायता करना;
(iii) अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट से ऊर्जा आदि।

(ख) स्वच्छता एवं सुरक्षति पेयजल का प्रावधान।
(ग) शिक्षा तथा रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशलों को बढ़ावा देना जैसे कि :

(i) समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण जिससे उनको रोजगार मिले;

(ii) शिक्षा क्षेत्र में हस्तक्षेप जैसे कि पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनपुट प्रदान करना तथा बालिका शिक्षा कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना;

(घ) दिव्यांगों की सहायता करने से संबंधित गतिविधियां।
(ड.) स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां।
(च) अन्य

(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या सामाजिक – आर्थिक विकास एवं राहत, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान देना।
(ii) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षिक संस्थाओं में स्थित प्रौद्योगिकी इंक्यूबेटर की सहायता करना या योगदान करना।
(iii) सीएसआर की गतिविधियों के संदर्भ में विद्युत मंत्रालय की कोई पहल।
(iv) खेल अवसंरचना का सृजन एवं अनुरक्षण तथा मौजूदा खेल सुविधाओं का उन्नयन एवं जीर्णोद्धार।

सीएसआर की नई गतिविधियां

यदि वर्ष के दौरान सीएसआर की नई गतिविधियों / परियोजनाओं को शुरू करने की आवश्यकता महसूस की जाती है, जो कंपनी की सीएसआर नीति में पहले से शामिल सीएसआर की गतिविधियों के अलावा हैं, तो सीएसआर की ऐसी अतिरिक्त गतिविधियों के लिए बोर्ड के अनुमोदन को नीति में संशोधन के रूप में लिया जाएगा।

4.0 निधियों (बजट) का आवंटन :

सीएसआर की गतिविधियों के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष में ठीक पूर्व के तीन वित्त वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत स्टैंड एलॉन निवल लाभ पूर्व कर (पीबीटी) का कम से कम 2 प्रतिशत आवंटित किया जाएगा।

कम से कम तीन वित्त वर्षों के स्थापित अच्छे रिकार्ड वाली शैक्षिक / प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से पीएफसी अपने स्वयं के कार्मिकों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों

की सीएसआर क्षमता का निर्माण कर सकता है परंतु प्रशासनिक शीर्ष पर व्यय सहित ऐसा व्यय एक वित्त वर्ष में पीएफसी के कुल सीएसआर बजट के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

मैराथन / पुरस्कार / धर्मस्व अंशदान / विज्ञापन / टीवी कार्यक्रमों की प्रायोजकता आदि जैसे एकबारगी कार्यक्रम सीएसआर व्यय के अंग के रूप में अर्हक नहीं होंगे।

किसी अधिनियम / संविधि / विनियम (जैसे कि श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि) के अनुपालन पर किए गए व्यय को सीएसआर व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा।

सततधारणीय पर खर्च की गई राशि

व्यवसाय की सामान्य गतिविधियां संचालित करते हुए पीएफसी द्वारा सततधारणीय विकास के प्रयास में सततधारणीय की पहलों पर खर्च की गई राशि अधिनियम तथा सीएसआर नियमावली में यथानिर्धारित लाभ के 2 प्रतिशत से सीएसआर व्यय के अंग के रूप में नहीं होगी।

बजट का आवंटन

सीएसआर की गतिविधियों के लिए निधियों का आवंटन मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।

किसी एक राज्य में किसी एक परियोजना के लिए सीएसआर गतिविधि के तहत समग्र व्यय उस वर्ष के लिए सीएसआर गतिविधि के तहत कुल बजट के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

आवंटित बजट को अग्रनीत करना

अधनियिम तथा सीएसआर नियमावली में निर्धारित ढंग से हर साल औसत निवल लाभ के निर्धारित प्रतिशत का व्यय किया जाएगा। तथापि, यदि किसी खास वर्ष में राशि खर्च नहीं होती है तो वह व्यपगत नहीं होगी। इसकी बजाय उसे प्रयोजन जिसके लिए वह आवंटित की गई थी, के लिए प्रयोग के लिए अगले साल अग्रनीत की जाएगी।

5.0 परियोजना आधारित गतिविधियों के लिए दृष्टिकोण तथा कार्यान्वयन विधि :

कार्यान्वयन :

पीएफसी कर्मचारियों, जो महत्वपूर्ण एवं अभिन्न हितधारक हैं, की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से संगठन के अंदर सीएसआर एजेंडा को लागू करने के लिए कदम उठाएगा।

पीएफसी कारोबार करने की सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सततधारणीय विधियों एवं प्रथाओं के अनुसार उनकी सोच में परिवर्तन के लिए आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करके तथा ऐसी सभी पहलों को गति प्रदान करने हेतु सही गति प्रदान करने के लिए उत्प्रेरण के साधनों को अपनाकर कर्मचारियों में सीएसआर की जागरूकता बढ़ाने के लिए आंतरिक संचार की रणनीतियां तैयार करेगा।

राज्य / क्षेत्र / संभाग जहां मुख्य रूप से सीएसआर और सततधारणीय नीति में बल देने के लिए परिभाषित क्षेत्रों के संबंध में संसाधनों की कमी है, चिह्नित किए जाएंगे।

सहायता सततधारणीय एवं आवर्तनीय माडलों के सृजन पर बल के साथ परियोजना आधारित होनी चाहिए।

सीएसआर की गतिविधियां केवल सरकारी / अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से शुरू की जानी चाहिए तथा इस संबंध में किसी अंतर की स्थिति में मामला दर मामला आधार पर निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों से भिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निष्पादित करने के लिए अपेक्षित आवश्यकता आधारित परियोजना के मामले में सीएसआर यूनिट रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करेगी। तथापि, ईओआई आमंत्रित करने की शर्त ऐसी स्थिति में लागू नहीं होगी जहां कार्यान्वयन एजेंसी सरकारी / अर्ध सरकारी संस्था है। बेस लाइन सर्वेक्षण / डीपीआर तथा प्रभाव आकलन अध्ययन के मामले में भी यह शर्त लागू होगी।

सीएसआर यूनिट को विभिन्न स्रोतों अर्थात केन्द्र सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकार की एजेंसियों, पीएसयू, प्रतिष्ठित संगठनों आदि से बल दिए जाने के लिए अभिचिह्नत क्षेत्रों में उपयुक्त प्रस्तावों की शिनाख्त करनी चाहिए और प्राप्त करना चाहिए।

सरकारी / अर्ध सरकारी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के मामले में उनके द्वारा अनुभूत आवश्यकता आकलन पर विचार किया जाएगा। तथापि, अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के मामले में उनके द्वारा अभिप्राय

सर्वेक्षण / आवश्यकता आकलन संचालित किया जाएगा।

समय समय पर प्रस्तावों की पहचान करने और जांच करने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि का भी विकास किया जाएगा।

सीएसआर प्रस्तावों की जांच सबसे पहले सीएसआर यूनिट द्वारा की जाएगी तथा पीएफसी में अनुमोदन की समुचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विचार / अनुमोदन के लिए निदेशकों की सीएसआर समिति (सीओडी) को उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। सीओडी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निदेशक मंडल (बीओडी) के विचार एवं अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे।

निगम के हितों की रक्षा करने के लिए कार्यान्वयन / समन्वय एजेंसी के साथ करार ज्ञापन (एमओए) तथा अन्य कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एल एण्ड डी यूनिट द्वारा विधिवत रूप से विवक्षा के बाद सीएसआर यूनिट द्वारा विधिक प्रलेख तैयार किए जाएंगे।

सीएसआर की परियोजनाएं चिह्नित करते समय निम्नलिखित को परिभाषित करने की दिशा में यथासंभव प्रयास किए जाएंगे :

- कार्यक्रम का उद्देश्य
- बेसलाइन सर्वेक्षण / आवश्यकता आकलन
- कार्यान्वयन अनुसूची
- जिम्मेदारियां एवं प्राधिकारी
- भुगतान की शर्तें
- अपेक्षित प्रमुख परिणाम तथा मापेय परिणाम

यदि किसी भी स्तर पर सीएसआर यूनिट आवश्यकता महसूस करती है तो वे परियोजनाओं के मूल्यांकन या चयन आदि में अपनी सहायता के लिए उस क्षेत्र में किसी बाहरी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।

भौगोलिक क्षेत्र

पीएफसी देश के अंदर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर सीएसआर की गतिविधियां / परियोजनाएं शुरू कर सकता है, क्योंकि वाणिज्यिक प्रचालन का उनका कोई विशिष्ट

भौगोलिक क्षेत्र नहीं है।

6.0 सीएसआर की गतिविधियों की निगरानी एवं मूल्यांकन / प्रभाव आकलन :

कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगी तथा कार्यान्वयन के भाग पर पीएफसी को आवधिक रिपोर्टें प्रदान करेगी। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजना निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी हो जाए। यदि अपेक्षित होगा तो पीएफसी परियोजनाओं की निगरानी के लिए विशिष्ट एजेंसी / परामर्शदाता नियुक्त कर सकता है।

शुरू की गई गतिविधियों पर प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की जाएगी :

(क) सीएसआर समिति को तिमाही रिपोर्ट।
(ख) निदेशक मंडल को सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट।

पीएफसी 5 करोड़ रुपए से अधिक की संस्वीकृत परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से प्रभाव आकलन संचालित करेगा। अनुभव के आधार पर जरूरत पड़ने पर प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए अधिकतम राशि के प्रावधान की समीक्षा की जाएगी तथा यदि परिवर्तन आवश्यक होगा तो नीति के पैरा 10.0 (सामान्य) के प्रावधान के अनुसार सीएमडी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शेष कार्यक्रमों / परियोजनाओं के लिए, प्रभाव आकलन अध्ययन मामला दर मामला आधार पर किया जा सकता है तथापि प्रभाव आकलन अध्ययन पर किया गया व्यय सीएसआर नियमावली के तहत प्रावधान के अनुसार सीएसआर व्यय के 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की समग्र सीमा के अंदर होगा।

सीएसआर यूनिट को परियोजना के कुल स्थानों के कम से कम 5 प्रतिशत का दौरा करना चाहिए जहां संस्वीकृति से पूर्व भौतिक परिसंपत्ति का सृजन किया जाना है। तथापि, यदि यह व्यावहारिक दृष्टि से संभव न हो तो ऐसे दौरे संवितरण से पूर्व किया जाना चाहिए और निदेशकों की सीएसआर एवं एसडी समिति को दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

परियोजना पूरी हो जाने के बाद परिसंपत्तियां, यदि कोई हों, परियोजना के तहत प्रस्तावित लाभार्थियों को अंतरित की जाएंगी तथा वे परिसंपत्ति के लिए जिम्मेदार होंगे।

जिन परियोजनाओं में परिसंपत्तियों का सृजन होता है उनकी सततधारणीय सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) से पीएफसी एवं कार्यान्वयन एजेंसी के बीच परस्पर सहमति के अनुसार निर्धारित अवधि तक अनुरक्षण करने की अपेक्षा होगी।

कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम भुगतान जारी करने से पूर्व सीएसआर यूनिट पीएफसी के अधिकारियों द्वारा परियोजना के कुल स्थानों में से कम से 10 प्रतिशत का दौरा करने और दौरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सुनिश्चय करेगी।

6.1 प्रभाव आकलन के लिए एजेंसी की नियुक्ति

शक्ति का प्रत्यायोजन (सीएसआर) के बिंदु 8.0 के अनुसार विशिष्ट एजेंसियों जैसे कि सरकारी / अर्ध सरकारी संगठनों / पीएसयू / एनजीओ / प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं शैक्षिक संगठनों आदि का चयन किया जाएगा।

7.0 सीएसआर रिपोर्टिंग

1 अप्रैल 2014 से आरंभ वित्त वर्ष से संबंधित किसी कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल होगी जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित ब्यौरे होंगे।

7.1 वेबसाइट पर सीएसआर की गतिविधियों का प्रदर्शन

सीएसआर तथा सततधारणीय नीति एवं उसमें निहित ब्यौरे पीएफसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

8.0 अनुमोदन प्राधिकारी (शक्ति का प्रत्यायोजन) :

सीएसआर गतिविधि के तहत प्रत्येक प्रस्ताव पीएफसी के अंदर अनुमोदन की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसरण के बाद निदेशकों की सीएसआर समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित एवं संस्तुत प्रस्ताव निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

मंजूरी / कार्यान्वयन से पूर्व सीएसआर परियोजना के सभी प्रस्ताव निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओपी)

क्र. सं.	गतिविधि / विवरण	अनुमोदन प्राधिकारी
1.	बेसलाइन सर्वेक्षण / डीपीआर	प्रत्येक मामले में 3 लाख रुपए तक परंतु किसी वित्त वर्ष में अधिक से अधिक 15 लाख रुपए – सीएसआर के प्रभारी निदेशक। सीएमडी – किसी वित्त वर्ष में 50 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ पूर्ण शक्तियां।
2.	परियोजनाओं की संस्वीकृति	राशि पर ध्यान दिए बगैर निदेशकों की सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल
3.	प्रभाव आकलन अध्ययन	प्रत्येक मामले में 15 लाख रुपए तक परंतु किसी वित्त वर्ष में अधिक से अधिक 50 लाख रुपए – सीएसआर के प्रभारी निदेशक सीएमडी – किसी वित्त वर्ष में 75 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ पूर्ण शक्तियां।
4.	फोटोग्राफी, लघु फिल्म आदि सहित सीएसआर परियोजनाओं के प्रसार के लिए व्यय	50000 रुपए तक – कार्यपालक निदेशक (सीएसआर) 100000 रुपए तक – प्रभारी निदेशक 100000 रुपए से अधिक – सीएमडी उपर्युक्त गतिविधियों के लिए समग्र सीमा किसी वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए है।
5.	किसी गतिविधि में सीएसआर यूनिट की सहायता के लिए बाहरी विशेषज्ञ की नियुक्ति	पूर्ण शक्ति – निदेशकों की सीएसआर समिति
6.	परियोजना समाप्ति तिथि आगे बढ़ाना	एक साल तक – कार्यपालक निदेशक (सीएसआर)

		एक साल से अधिक – निदेशकों की सीएसआर समिति
7.	कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बगैर मामूली परिवर्तन	कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन या संस्वीकृत लागत के अंदर परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में अन्य मुद्दों के बगैर मात्रा में परिवर्तन, लाभार्थियों में परस्पर परिवर्तन, स्थानों में परिवर्तन आदि सहित मामूली परिवर्तनों को अनुमोदित करने के लिए प्रभारी निदेशक।

उपर्युक्त प्रत्यायोजन की दृष्टि से अनुमोदित सभी कार्यक्रम तदनंतर निदेशकों की सीएसआर समिति के नोटिस में लाए जाएंगे।

कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों जैसे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए पीएफसी की आंतरिक अनुमोदन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

9.0 भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां :

1.	सीएसआर यूनिट	सीएसआर यूनिट परियोजना (परियोजनाओं) / योजना (योजनाओं) का मूल्यांकन करेगी तथा पीएफसी में अनुमोदन की समुचित प्रक्रिया के बाद सिफारिश के लिए निदेशकों की सीएसआर समिति को प्रस्तुत करेगी।
2.	निदेशकों की सीएसआर समिति	निदेशकों की सीएसआर समिति अनुमोदन के लिए सीएसआर यूनिट की सिफारिशों पर विचार करेगी और निदेशक मंडल (बीओडी) से उनकी सिफारिश करेगी।
3.	निदेशक मंडल	निदेशक मंडल अनुमोदन के लिए सीएसआर समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा।

10.0 सामान्य :

- सीएसआर एवं सततधारणीय नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई पूरक नियम / आदेश जारी करने के लिए सीएमडी अधिकृत हैं।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर नीति की समीक्षा की जाएगी या संशोधित किया जाएगा।
- सीएसआर एवं सततधारणीय नीति के कोई या सभी प्रावधान इस विषय पर सरकार / सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसरण में संशोधन के अधीन होंगे।
- निगम इस नीति के किसी भी प्रावधान में संशोधन करने, वृद्धि करने, विलोपन करने या सुधार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- यह नीति कंपनी अधिनियम, 2013, अधिनियम की अनुसूची 7, सीएसआर नियमावली तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों पर आधारित है। किसी संभावित स्थिति में जहां सीएसआर नियमावली एवं दिशानिर्देशों के बीच टकराव हो सकता है, सभी परिस्थितियों में सीएसआर नियमावली मान्य होगी।
- यह नीति कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व तथा सततधारणीय विकास पर सभी पिछली नीतियों का अधिक्रमण करेगी / अधिरोहण करेगी।
- नीति के किसी प्रावधान के संबंध में किसी शंका की स्थिति में तथा इसमें शामिल न किए गए मामलों के संबंध में भी सीएसआर यूनिट को संदर्भित किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में सीएसआर के प्रभारी निदेशक का निर्वचन एवं निर्णय अंतिम होगा।